



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251086
CG-DL-E-02012024-251086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

का.आ. 40(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'बेल्लारी शहरी विकास प्राधिकरण' (पैन: AAALB0037A), कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक प्राधिकरण, उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- स्वयं के अभिन्यास विकास से राजस्व;
- निजी अभिन्यास सुधार प्रभार के कारण संग्रहण;
- सिविल पर्यवेक्षण प्रभार;
- नागरिक सुविधा स्थल से पट्टा; और
- बैंक जमाओं पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि बेल्लारी शहरी विकास प्राधिकरण:-

- किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी जो कि क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 1 /2024 फा.सं. 300196/26/2021-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2024

S.O. 40(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Bellary Urban Development Authority' (PAN AAALB0037A), an Authority constituted by the State Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:

- (a) Revenue from own layout development;
- (b) Collections on account of private layout betterment charges;
- (c) Civil supervision charges;
- (d) Lease from civic amenities sites; and
- (e) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Bellary Urban Development Authority-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 respectively.

[Notification No. 1/2024 F. No. 300196/26/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.